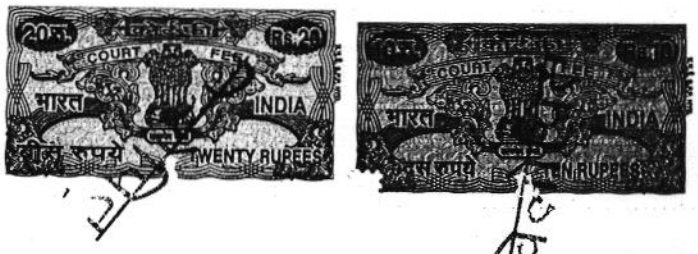

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर मध्य प्रदेश

प्रकरण क्रमांक :— ..../2019/ग्वालियर/निगरानी

श्री .... द्वारा आज दि० 19/3/19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 2/4/19 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 19-3-19

हरीओम शर्मा पुत्र स्व. श्री रामगोपाल शर्मा निवासी ग्राम उकावद तहसील व जिला गुना मध्य प्रदेश —प्रार्थी

बनाम

1— कल्लू शर्मा पुत्र स्व. श्री रामगोपाल शर्मा

2— राजू शर्मा पुत्र स्व. श्री रामगोपाल शर्मा निवासीगण ग्राम उकावद तहसील व जिला गुना मध्य प्रदेश

3— श्रीमती किरण पत्नी श्री मुन्नालाल शर्मा निवासी ग्राम चौखेट तहसील आरोन जिला गुना मध्य प्रदेश —प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 26/04/2013 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्य प्रदेश महोदय श्री एस.पी.सिंह सलूजा जी का प्रकरण क्रमांक 444/2010—11/अपील। अनुविभागीय अधिकारी महोदय गुना जिला गुना मध्य प्रदेश का प्रकरण क्रमांक 13/2008—09/अपील आदेश दिनांक 09/05/2011। नायब तहसीलदार उकावद वृत म्याना जिला गुना मध्य प्रदेश का प्रकरण क्रमांक 52/2005—06/अ—6 आदेश दिनांक 30/06/2006।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 0414/2019/गुना/भू0रा0

हरीओम विरूद्ध कल्लू शर्मा आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05–8–2019	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि तहसील न्यायालय में वारिसाना नामांतरण हेतु आवेदन किया था, जिसपर तहसील न्यायालय ने आवेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया। तहसील न्यायालय के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी स्थिर रखा गया, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में त्रुटि की है। 3/ प्रकरण का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्र. क्र. 444/2010–11/अपील में पारित आदेश दिनांक 26–04–2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–7–2018 को हुए संशोधन अधिनियम 2018 के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के प्रश्चात इस न्यायालय में दिनांक 19–3–2019 को प्रस्तुत की गई है। संशोधन के फलस्वरूप मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50(2)(ख) अनुसार इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में चुंकि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन प्रचलन योग्य नहीं है। अतः निगरानी आवेदन सुनवाई के लिए अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (जे 0के0 जैन) सदस्य	